न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 35/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेराजराम पुत्र वागाराम उम्र 53 वर्ष 2. देवाराम पुत्र रतनाराम उम्र 80 वर्ष 3. मालाराम पुत्र रतनाराम उम्र 75 वर्ष 4. वीरमाराम पुत्र वागाराम उम्र 40 वर्ष 5. सोनाराम पुत्र अचलाराम उम्र 41 वर्ष 6. हरूराम पुत्र अचलाराम उम्र 55 वर्ष जातियान जाट निवासी सारणों का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. चोथाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 72 वर्ष 2. देवाराम पुत्र परसुराम उम्र 65 वर्ष 3. पुनमाराम पुत्र रतनाराम उम्र 58 वर्ष 4. सताराम पुत्र रतनाराम उम्र 74 वर्ष 5. लूणाराम पुत्र रामाराम उम्र 58 वर्ष 6. नगाराम पुत्र नन्दराम उम्र 65 वर्ष 7. पेमाराम पुत्र नन्दराम उम्र 67 वर्ष 8. चतरू पत्नि नन्दराम उम्र 85 वर्ष 9. मगाराम पुत्र कानाराम उम्र 70 वर्ष 10. शिवजीराम पुत्र कानाराम उम्र 66 वर्ष 11. दमाराम पुत्र धनाराम उम्र 55 वर्ष 12. नगाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 68 वर्ष 13. नवलाराम पुत्र केसराराम उम्र 52 वर्ष 14. पुनमाराम पुत्र केसराराम उम्र 61 वर्ष 15. फुआराम पुत्र धनाराम उम्र 66 वर्ष 16. भोमाराम पुत्र केसराराम उम्र 60 वर्ष 17. लच्छाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 62 वर्ष 18. लालाराम पुत्र केसराराम उम्र 57 वर्ष 19. शेराराम पुत्र डूंगराराम उम्र 58 वर्ष 20. हतु पत्नि हुक्माराम उम्र 80 वर्ष 21. हरखाराम पुत्र केसराराम उम्र 70 वर्ष 22. हरचन्दराम पुत्र केसराराम उम्र 69 वर्ष 23. जगनाथराम पुत्र जोधाराम उम्र 38 वर्ष 24. हापू पत्नि जोधाराम उम्र 60 वर्ष जातियान जाट निवासी सारणों का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर तहसीलदार सिणधरी 25. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –06.06.2023

1, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या क्रमशः 2053/814, 2148/825, 814, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या क्रमशः 2053/814, 2148/825, 814, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या क्रमशः 2053/814, 2148/825, 814, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या क्रमशः 2053/814, 2148/825, 814, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

र्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या क्रमशः 2053/814, 2148/825, 814, 822, 823, 824 रकबा क्रमशः 3.8347 हैक्टेयर, 26.2116 हैक्टेयर, 9.1336 हैक्टेयर, 0.0566 हैक्टेयर, 0.1942 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 39.4631 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी